न्यायालय कलेक्टर, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

छतरपुर, दिनांक – 15/03/2018

// आ दे श //

प्रकरण क्रमांक 73/अ–19(3)/भूमि हस्तां./2017–18 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नौगांव, जिला छतरपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2438–ए/कार्य./2017, नौगांव, दिनांक 13.10.2017 से तेंदुआं नाला तालाब योजना डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम श्यामरीपुरवा स्थित वन भूमि रकवा 45.278 है0 के बदले शासकीय समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नौगांव जिला छतरपुर के प्रस्ताव अनुसार नायब तहसीलदार देवरा, तहसील बिजावर द्वारा जांच प्रकरण क्र0 203/बी–121/2017–18 पंजीबद्ध कर अपने प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2018 से प्रतिवेदित किया गया है कि हल्का पटवारी नं0 48 शाहगढ़ से वन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों के साथ स्थल जांच प्रतिवेदन खसरा, नक्शा, नक्शा ट्रेस प्राप्त कर ग्राम रामगढ़(बी) स्थित शासकीय राजस्व भूमि खसरा नं0 145/1 रकवा 202.710 है0 भूमि जो राजस्व अभिलेख मे म0प्र0 शासन पहाड़ के रूप में दर्ज भूमि में से 45.278 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में इश्तहार का प्रकाशन किया गया। सावधि कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 745/बी–121/2017–18 प्रतिवेदन दिनांक 01.03.2018 से नायब तहसीलदार देवरा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रतिवेदित किया है कि ग्राम रामगढ़(बी) स्थित शासकीय राजस्व भूमि खसरा नं0 145/1 रकवा 202.710 हेक्टेयर में से 45.278 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु डूब क्षेत्र में प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले दिये जाने की अनुशंसा की गई।

वन मण्डलाधिकारी (सामान्य), वन मण्डल, छतरपुर द्वारा अपने ज्ञाप क्रमांक/म.चि./2018/962, छतरपुर दिनांक 14.03.2018 से डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले शासकीय राजस्व समतुल्य भूमि स्थित ग्राम रामगढ़(बी) खसरा नं0 145/1 कुल रकवा 202.710 हेक्टेयर में से 45.278 हेक्टेयर भूमि क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराने में सहमति प्रदत्त की गई।

अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर एवं वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल छतरपुर द्वारा दी गई सहमति के आधार पर तेंदुआं नाला तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम श्यामरीपुरवा स्थित वन भूमि रकवा 45.278 हेक्टेयर के बदले तहसील बिजावर राजस्व निरीक्षण मण्डल, देवरा पटवारी हल्का 48 शाहगढ़ स्थित ग्राम रामगढ़ (बी) भूमि खसरा नं0 145/1 कुल रकवा 202.710 हेक्टेयर में से 45.278 हेक्टेयर शासकीय राजस्व समतुल्य भूमि क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 क्रमांक 1 की कंडिका 36 के तहत म0प्र0 शासन वन विभाग के नाम निम्नांकित शर्तो पर हस्तांतरित की जाती है।

नायब तहसीलदार देवरा को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार भूमि का मौके पर सीमांकन कर पत्थर गाड़कर चौहद्दी बताते हुये नापकर कब्जा म0प्र0 शासन वन विभाग, (वन मण्डलाधिकारी (सामान्य), वन मण्डल छतरपुर) जिला छतरपुर, को सौंपते हुये हस्तांतरित भूमि नक्शे में चिन्हित कर राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करते हुये पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

शर्तें :–

1. विषयांकित प्रयोजन से भूमि का प्रयोग विभिन्न प्रयोजन में नहीं किया जावेगा।.
2. प्रश्नाधीन भूमि पर स्थित वृक्षों की कटाई की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से ली जाना आवश्यक होगा।
3. प्रश्नाधीन आदेश तेंदुआ नाला तालाब योजना के निर्माण कार्य होने पर ही प्रभावशील होगा।
4. पर्यावरण पदूषण का भी ध्यान रखना होगा।
5. कलेक्टर या उसके प्रतिनिधि को भूमि के उपयोग के संबंध में प्रवेश करने एवं निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. भविष्य में भूमि का उपयोग विषयांकित प्रयोजन पर न होने के कारण उस पर निर्मित अद्योसंरचना एवं सम्पत्ति पर म0प्र0 शासन राजस्व विभाग का स्वामित्व होगा, जिसके लिये कोई मुआवजा राशि देय नहीं होगी।
7. हस्तांतरित भूमि पर कब्जा प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर हस्तांतरित भूमि पर इकाई निर्माण का कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लघन होने पर आदेश स्वमेव शून्यवत हो जावेगा।

(रमेश भण्डारी)
कलेक्टर
जिला–छतरपुर, म0प्र0

पृ0प्र0क्र0 73/अ–19(3)/भूमि.हस्ता./2017–18 छतरपुर, दिनांक– 15/03/2018

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. कमिश्नर, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।
5. वन संरक्षक, (सामान्य) वन मण्डल छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर, जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नौगांव, जिला छतरपुर की ओर पत्र क्रं0 2438–ए/कार्य./2017, नौगांव दिनांक 13.10.2017 के संदर्भ में पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. नजूल अधिकारी, जिला छतरपुर की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर।
10. अधीक्षक, भू–अभिलेख, कलेक्ट्रेट की ओर पत्र क्रं0 330/भूअभि/स.अ.भू./2018, दिनांक 15.03.2018 के संदर्भ में पालनार्थ एवं सूचनार्थ।
11. नायब तहसीलदार देवरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(रमेश भण्डारी)
कलेक्टर
जिला–छतरपुर, म0प्र0

T.S. Tendua Forest

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
आवक क्र 908
दिनांक 22/3/18

21/3/18